A5
7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं० 50/15

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

शानी बाई पुत्री तिलोकाराम पत्नी राम लाल जाति मेघवाल साकिन 10 एस टी सी तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति मेघवाल साकिन कालियॉ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. आत्माराम पुत्र श्री बुलाराम जाति मेघवाल साकिन कालियॉ जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्ण राम पुत्र श्री नारायणराम जाति बावरी साकिन कालियॉ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अशोक कुमार पुत्र श्री फकीरचन्द जाति मेघवाल साकिन कालियॉ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 31.07.15

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री भगतसिंह जाखड़, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
2. श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 02 व 04
3. श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3

आदेश **दिनांक : 04–01–16**

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि तिलोकाराम को बतौर नान कलेममेन्ट चक 3 जी बड़ी मु0 नं0 57 में 25 बीघा भूमि भारत सरकार द्वारा अलॉट की गई है। वरवक्त अलॉटमैन्ट अपीलांट का नाम भी था। अपीलांट के पिता के मरने के बाद 1/3 हिस्सा पन्नाराम, 1/3 हिस्सा भराई उर्फ भिरावा बाई तथा 1/3 हिस्सा शानीबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने कब्जा कर रखा है। अपीलांट ने दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, जो बिना जॉच किए, बिना किसी आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपना हिस्सा दिनांक 8–9–96 को कभी भी नहीं छोड़ा और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है। राजस्व रेकार्ड में तमाम जमीन भगवानाराम के नाम से नहीं है। जिला न्यायाधीश, श्री गंगानगर के आदेश पर अपीलांट के हकूक पर कोई प्रभाव नहीं है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

...जिला कलक्टर (प्रशासन)
...गंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

अपीलकृत आदेश पारित कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि तिलोकाराम को बतौर नान कलेममेन्ट चक 3 जी बड़ी मु0 नं0 57 में 25 बीघा भूमि भारत सरकार द्वारा अलॉट की गई है। वरवक्त अलॉटमैन्ट अपीलांट का नाम था। अपीलांट के पिता के मरने के बाद 1/3 हिस्सा पन्नाराम, 1/3 हिस्सा भराई उर्फ भिरावा बाई तथा 1/3 हिस्सा शानीबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने कब्जा कर रखा है। अपीलांट ने दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, जो बिना जॉच किए, बिना किसी आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज है, इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपना हिस्सा दिनांक 8–9–96 को कभी भी नहीं छोड़ा और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है। राजस्व रेकार्ड में तमाम जमीन भगवानाराम के नाम से नहीं है। जिला न्यायाधीश, श्री गंगानगर के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट पक्षकार नहीं था इसलिए उक्त आदेश से अपीलांट के हकूक पर कोई प्रभाव नहीं है। दिनांक 30–7–15 को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था,लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित कर दिया गया है। जमाबंदी में रकबा आज भी अपीलांट के नाम से है। दिनांक 25–9–13 को अपीलांट के नाम से नामान्तरण हुआ है। रकबा आज भी गैरखातेदारी है। पूर्व की जमाबंदी में अपीलांट का नाम शानीबाई की जगह शान्तिबाई लिखा गया है। तामील अधूरी थी, लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस में प्रकरण नियत कर दिया था। मौके पर कब्जा आज भी अपीलांट का है। अपीलांट ने कोई रकबा बेचान नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 सं0 2–3–4 के अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से बहस करते हुए कहा है कि प्रस्तुत प्रकरण पर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा पारित निर्णय की जो प्रति अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई है, उससे अपीलांट को कोई अधिकार नहीं मिल जाते हैं। प्रकरण 183 बी की परिधि में नहीं आता है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के धारा 183 बी के प्रकरण अनवान शानीबाई बनाम भगवानाराम वगैरा में दिनांक 31–7–15 को निर्णय पारित कर – प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी में चलने योग्य नहीं होने से, खारिज किया गया है, को प्रस्तुत अपील के माध्यम से चुनौति दी गई है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार चक 3 जी बड़ी के मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 25 रकबा पन्नाराम पुत्र तिलोकाराम , भराई उर्फ भरावांबाई, अपीलांटा शानी बाई पुत्रियॉ तिलोकाराम बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल के नाम राजस्व अभिलेखों में गैरखातेदारी दर्ज रेकार्ड है। अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांटा द्वारा अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 8–9–96 को प्राप्त कर लिया गया था। इकरारनामा की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख24–5–78 व 26–7–78 है। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्री गंगानगर द्वारा मुकदमा नं0 20/67 भगवानाराम बनाम पन्नाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 8–7–98 में पारित डिक्री अनुसार भगवानाराम को मु0 नं0 57 की 25 बीघा कृषि भूमि गॉव कालियॉ का मालिक घोषित किया गया है। मा0 अति0 सिविल न्यायाधीश (व0ख0) श्री गंगानगर के नं. दीवानी प्रकरण सं0 39/93 फकीरचन्द बनाम पन्नाराम उर्फ पिनीया में पारित निर्णय दिनांक 11–8–94 के इकरारनामा दिनांक 24–5–78 व 26–6–78 को चक 3 जी बड़ी के मु0 नं0 57 के किला नं0 1 ता 8 सालम व 9 में से 5 बिस्वा भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करवायें। यदि उसकी सनद प्राप्त कर ली हो तो उक्त आदेशानुसार विक्रय विलेख निष्पादित करवायें। निगरानी वाद सं0 17/93 भगवानाराम बनाम पीनिया आदि में सहमति से प्रार्थिया/अपीलांटा अपना 1/3 हिस्सा की राशि पूर्व में प्राप्त कर चुकी है । अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटा अपना हिस्सा बेचान कर दिये जाने के कारण एवं मा0 सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांटा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांटा खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 4–1–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/1/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner